

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर  
// आदेश //

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2014

क्रमांक-एफ-2-40/2014/सात-2 --- राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नलिखित नायब तहसीलदारों को प्रशासनिक/स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित करते हुए, उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये कालम-4 अनुसार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-


क्रमांक	नायब तहसीलदार का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
01	02	03	04	05
1.	श्री आर.के. सोनकर	जिला-राजनांदगांव	जिला-दुर्ग	स्वयं के व्यय पर
2.	श्री घनश्याम शर्मा	जिला-गरियाबंद	जिला-दुर्ग	स्वयं के व्यय पर
3.	श्री अमरेन्द्र सिंह	जिला-सूरजपुर	जिला-सरगुजा	प्रशासनिक
4.	श्री सिलबेस्तर लकड़ा	जिला-जशपुर	जिला-सरगुजा	प्रशासनिक
5.	श्री ओ.पी. दुबे	जिला-कांकेर	जिला-रायपुर	स्वयं के व्यय पर
6.	श्री अशोक उपाध्याय	जिला-रायगढ़	जिला-जांजगीर चांपा	प्रशासनिक
7.	श्री तुलाराम भारद्वाज	जिला-बलौदाबाजार	जिला-कोरबा	प्रशासनिक
8.	श्री सुखलाल मानकर	जिला-गरियाबंद	जिला-दुर्ग	स्वयं के व्यय पर
9.	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	जिला-बलरामपुर	जिला-रायपुर	स्वयं के व्यय पर
10.	श्री सुधीर खलखो	जिला-जांजगीर-चांपा	जिला-कोरबा	प्रशासनिक

2/ उपरोक्त नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया जाता है, कि पदस्थापना पर आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समयवाधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले नायब तहसीलदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3/ संबंधित कलेक्टर, का दायित्व होगा कि स्थानांतरित नायब तहसीलदारों को पदस्थापना जिले के लिए तत्काल भारमुक्त करें (15 दिवस में भारमुक्त नहीं किए जाने पर स्वतः भारमुक्त समझा जावे) तथा भारमुक्ति आदेश की प्रति विभाग को फैक्स नं.-0771-2510122 एवं E-Mail- ID revenue.cg@nic.in पर भेजना सुनिश्चित करें।

3/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(चन्द्रकान्त उडके)  
संयुक्त सचिव


छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक-एफ-2-40/2014/सात-2

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2014

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ,छत्तीसगढ़ रायपुर.
  2. संबंधित संभागीय आयुक्त छत्तीसगढ़.
  3. संबंधित कलेक्टर, छत्तीसगढ़. कृपया संबंधित नायब तहसीलदारों को आदेश प्रति तामिल करावा सुनिश्चित करें।
  4. संबंधित कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़.
  5. सर्व संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा कलेक्टर.
  6. व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग